रजिस्ट्री सं. डी- 222 REGISTERED No. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 25, 1966 (आषाढ़ 4, 1888)
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 1966 (ASADHA 4, 1888)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 10 जून 1966 तक प्रकाशित किये गये थे :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 10th June 1966 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
81-A	No. 1 6/19/66(PN) dt. 16th May, 1966.	Ministry of Steel & Mines	Imports from the U. S. A under U. S. A. Aid Non-Project Loan—1966.
95	No. 9(42)-Tex)C)/64, dt. 2nd June 1966	Ministry of Commerce	Composition of a committee to enquire into the problems of the Power Loan industry.
96	No. 6-ETC(PN)/66, dt. 3rd June 1966.	-do-	Export of garments and made up articles made from Cotton handloom fabrics commonly known as "Bleeding Madras".
	No. 71-ITC(PN)/56, dt. 3rd June, 1966.	-do-	Imports of Gum Arabic (S. No. 48/IV) from Sudan during April 1966—March 1967 licensing period.
97	No. ITC(PN)(2)/66, dt. 6th June, 1966.	-do-	Abolition of Export promotion Schemes.
98	No. 43(2)/Tar/66, dt. 6th June 1966	-do-	Modification of the existing rate of protective duty.
99	No. 43(3)/Tar/66, dt. 6th June 1966.	-do-	Amendments in the Indian Tariff Act 1934.
100	No. 72-ITC(PN)/66, dt. 7th June 1966.	-do-	Imports from the U S A under U S.AID non Project loan 1966.
	No. 73-ITC(PN)/66, dt. 7th June 1966	-do-	Imports from the U.S.A under U.S AID non project Loan 1966.
	No. 74-ITC(PN)/66, dt. 7th June 1966.	-do-	Grant of licences to private Sector Industries for import of goods against various foreign credits—payment after declaration of rupee.
	No. 75-ITC(PN)/66 dt. 7th June, 1966.	-do-	Devaluation of rupee—consequential increase in the rupee value of import licences
101	No. 1/14/66-BP(I), dt. 7th June 1966.	Ministry of Finance.	The par value of the Rupee.
102	No. 19/6/66-KVI(P), dt. June 8th, 1966.	Ministry of Commerce.	To appoint a Committee to assist in the development of Khadi and Village industries.
103	No 76-ITC(PN)/66, dt. 8th June, 1966	-do-	Imports policy for paper items for the period April 1966—March 1967.
104	No. 77-ITC(PN)/66, dt. 8th June 1966.	-do-	Grant of entitlement licences against exports effected upto 5th June 1966 under the erstwhile E. P. Schemes.
	No. PN/(U.K. LICENSING)/4 of 1966	-do-	Scheme for free licensing of Cotton yarn—Export to U.K.
105	No 78/ITC(PN)/66, dt. 10th June 1966	-do-	U.S. AID programme—Chatering of Ocean Vessels and embargo on certain vessels for transport of AID Financed goods.
	No. 79/ITC(PN)/66, dt. 10th June 1966	-do-	General Seamen's strike in the United Kingdom ports Revalidation of import licences.
	No. 80-ITC(PN)/66, dt. 10th June, 1966.	-do-	Revaluation of rupee—consequential increase in the rupee value of import licences
	No. 81-ITC(PN)/66, dt. 10th June 1966.	-do-	Import policy for actual users for the year April 1966—March 1967—Issue of advance licences for raw materials, components and spares.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों के संबंधित अधिसूचनाएं ..	487
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	555
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं ..	33
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं ..	367
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—

	पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1113
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii) (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1773
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	165
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	411
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	237
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	73
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	431
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	137
पूरक सं० 26—	
18 जून 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	885
28 मई 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	897

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	487
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	555
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	33
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	367
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1113
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ...	1773
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ...	165
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	411
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	237
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	73
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	431
PART IV—Advertisement and Notices by Private Individuals and Private Bodies	137
SUPPLEMENT No. 26—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 18th June 1966	885
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 21st May 1966	897

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधेतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 1966

सं० 40-प्रेज/66—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री प्रीतम सिंह,
असिस्टेन्ट सबइन्स्पेक्टर, नं० 3596,
पंजाब सशस्त्र पुलिस,
पंजाब (स्वर्गीय)

श्री कुन्दन सिंह,
पुलिस कान्स्टेबल नं० 1348,
पंजाब सशस्त्र पुलिस.
पंजाब (स्वर्गीय)

श्री जरनैल सिंह,
पुलिस कान्स्टेबल नं० 8398,
पंजाब सशस्त्र पुलिस,
पंजाब

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किये गये ।

27 जून, 1964 को पुलिस की एक टुकड़ी जो जम्मू व काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के निकट जल के स्थान पर जल लेने को गयी तो उन पर सीमा पार से गोली चलनी आरम्भ हो गयी । श्री प्रीतम सिंह, जो उस दल का नेतृत्व कर रहे थे, ने तुरन्त उत्तर में गोली चलाने का आदेश दिया । अभी पुलिस दल पूर्णतः सम्भल भी न पाया था कि जल के स्थान से कुछ गज के अन्तर पर एक हथगोला गिरा जिससे एक कान्स्टेबल आहत हो गया । तत्पश्चात पाकिस्तानियों ने तीन ओर से स्वचालित हथियारों से भीषण गोलाबारी आरम्भ कर दी । संख्या में अत्यन्त न्यून होने पर भी इस छोटे पुलिस दल ने इसका प्रबल प्रतिकार किया । आक्रमणकारियों के भारी दबाव होने के बावजूद भीषण गोलाबारी के मध्य श्री प्रीतम सिंह रेंग कर एक और अच्छे स्थान पर गये जहां से वह कार्यवाही का संचालन कर सकते थे । ऐसा करते हुए वह हलकी मशीन गन की गोली से आहत हो गये और उसी स्थान पर वीरगति को प्राप्त हो गये । भीषण गोलाबारी की चिन्ता न करते हुए तथा अपने नेता की क्षति होने पर भी कान्स्टेबल कुन्दन सिंह और जरनैल सिंह ने शत्रु, जो संख्या में बहुत अधिक थे, के साथ लड़ाई जारी रखी, कान्स्टेबल कुन्दन सिंह भी हलकी मशीन गन की एक गोली से आहत हो गये परन्तु अपनी गम्भीर चोटों के बावजूद भी उन्होंने अपनी राईफल से आक्रमणकारियों पर उस समय तक गोली चलाना जारी रखा जब तक कि उनकी शक्ति क्षीण न हो गयी तथा गोली चलाते हुए वह भी वीरगति को प्राप्त हुये । जरनैल सिंह अपनी स्थिति पर डटा रहा तथा बड़ी कुशलता पूर्वक अपनी राईफल से गोली चलाते हुये उसने आक्रमणकारियों को उलझाये रखा । उसने आक्रमणकारियों को और आगे बढ़ने से ही नहीं रोका अपितु अन्त में उनको पीछे हटने पर भी विवश कर दिया ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री प्रीतम सिंह, कुन्दन सिंह एवं जरनैल सिंह ने विशिष्ट वीरता तथा उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन किया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकृत विशेष भत्ता भी दिनांक 27 जून, 1964 से दिया जायेगा ।

सं० 41-प्रेज/66.—राष्ट्रपति, मद्रास पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लक्ष्मैया नायडू मुथुस्वामी,
हवलदार 93, दूसरी बटालियन,
मद्रास विशेष सशस्त्र पुलिस,
मद्रास ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

19 मई 1964 को तिरुवेली शिविर से आये अनियन्त्रित शरणार्थियों की एक भीड़ तिरुवेली रेलवे स्टेशन तथा रेल की पटरी पर एकत्रित हो गयी और माना शिविर तक पहुंचाने के लिये विशेष रेलगाड़ी की व्यवस्था करने की मांग करने लगी जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंच गये और भीड़ को तितर बितर करने का प्रयत्न करने लगे । भीड़ का हिंसात्मक रूप देख कर जिलाधीश ने इस भीड़ को अवैधानिक घोषित कर दिया तथा तितर-बितर होने का आदेश दिया । जब समस्त प्रयास निष्फल सिद्ध हुये तो अपर पुलिस अधीक्षक ने भीड़ के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिये कहा । इस पर भीड़ बेकाबू हो गयी जिसके फलस्वरूप पुलिस को लाठी चलानी पड़ी । इस पर भीड़ ने पुलिस दल पर आक्रमण कर दिया एक विरोधी एक कुल्हाड़ी ले कर अपर पुलिस अधीक्षक की ओर झपटा यह देख कर हवलदार मुथुस्वामी ने सशस्त्र व्यक्ति को सम्भाला, उसे दूर हटाया और निस्सन्देह अपर पुलिस अधीक्षक के प्राणों की रक्षा की । ऐसा करते हुए उनके घुटने पर गम्भीर घाव लगा जिस के फलस्वरूप उनके दारुण चोटें आयीं ।

हवलदार मुथुस्वामी ने अपने व्यक्तिगत जीवन की उपेक्षा करते हुए विशिष्ट वीरता तथा उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकृत विशेष भत्ता भी दिनांक 19 मई 1964 से दिया जायेगा ।

दिनांक 14 जून 1966

सं० 42-प्रेज/66—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री ओम प्रकाश यादव,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला बादा,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

6 दिसम्बर, 1963 को सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात डाकू श्याम लाल भिण्ड क्षेत्र मे डकैती डालने के लिये एक गिरोह में सम्मिलित होना चाहता है। एक योजना का निर्माण किया गया जिसके अनुसार चार पुलिस अफसरों के एक दल को भिण्ड क्षेत्र के डाकुओं के भेष में श्याम लाल से मिलना था। श्री ओम प्रकाश यादव ने इस छोटे दल का नेतृत्व करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। श्री यादव के अधीन पुलिस दल 7 दिसम्बर, 1963 की रात्रि को निर्धारित स्थान पर पहुंचा। प्रातः काल 3 बजे श्याम लाल अपने साथी दरबारिया नर्जार बैहना तथा अन्य दो डाकुओं सहित वहां आया। डाकुओं को आया देख कर श्री यादव ने उनको और निकट आने का निमन्त्रण दिया परन्तु श्याम लाल पहले उनकी पहिचान कर लेना चाहता था। इस पर श्री यादव ने प्रकाश करने का सुझाव दिया ताकि श्याम लाल दल की पहिचान कर स्वयं को सन्तुष्ट कर सके। उसके अनुसार प्रकाश किया गया परन्तु पुलिस दल को देख कर दरबारिया को उनपर सन्देह हो गया। तुरन्त श्याम लाल ने अपने साथियों को पुलिस पर गोलिया चलाने का आदेश दिया। दो गोलियां उप-निरीक्षक यादव के निकट से निकल गयीं। आक्रमण की आकस्मिकता से निर्भीक पुलिस दल ने अपनी स्थिति सम्भाल ली तथा श्री यादव के निर्देशन में उत्तर में प्रभावशाली ढंग से गोलिया चलायी। बाद में हुई गोलीबारी मे, समस्त पाचों डाकू मारे गये।

इस मुठभेड़ में, अपने जीवन को महान संकट में डालते हुये भी श्री ओम प्रकाश यादव ने विशिष्ट वीरता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकृत विशेष भत्ता भी दिनांक 8 दिसम्बर, 1963 से दिया जायेगा।

वाई० डी० गण्डेविया, राष्ट्रपति के सचिव

गृह मंत्रालय

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून, 1966

सं० 8/20/66—सी० एस०-II—दिसम्बर 1966 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अपर डिवीजन ग्रेड के लिये चयन सूची में सम्मिलित करने के लिये एक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा लेने के लिये नियम सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित किये जाते हैं।

2. यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में विहित तरीके से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जायगी।

परीक्षा की तिथि तथा स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

3. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त किये ऐसे अस्थायी निम्न श्रेणी लिपिक इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे जो प्रथम जुलाई 1966 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करते होंगे।

(1) **सेवा की अवधि**—जो व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में कम से कम पांच वर्ष की स्वीकृत तथा लगातार सेवा हों :—

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का निम्न श्रेणी ग्रेड,
या
(ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा ग्रेड जिसका न्यूनतम और अधिकतम वेतन क्रम 1-7-1959 से पहले क्रमशः 55 तथा 130 रुपये से कम न रहा हो और 1-7-1959 के पश्चात् क्रमशः 110 और 180 से कम न रहा हो।

नोट—स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा का कुछ भाग केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में रहा हो और कुछ भाग उपरोक्त (क) तथा (ख) में वर्णित कहीं और की गई हो।

(2) **आयु**—उसे 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उसकी जन्म तिथि प्रथम जुलाई 1926 से पहले नहीं होनी चाहिये।

नोट—40 वर्ष की आयु सीमा केवल 1966 और 1967 में होने वाली परीक्षाओं पर ही लागू होगी। इसके पश्चात आयु सीमा 30 वर्ष होगी। लेकिन निम्नलिखित श्रेणियों व व्यक्तियों के सम्बन्ध में आयु की सीमा में छूट दी जा सकती है।

(i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिये अधिकतम 5 वर्ष तक।

(ii) पांडीचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के निवासी किसी ऐसे उम्मीदवार के लिये अधिकतम तीन वर्ष तक जिसने किसी स्थिति में फ्रेन्च के माध्यम से शिक्षा पाई हो।

(iii) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दीयु संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक।

(iv) यदि उम्मीदवार मूलतः भारतीय हो और केन्या, उगाडा और संयुक्त तंजानिया गणतन्त्र (भूतपूर्व तांगानीका और जंजीबार) से प्रत्यावर्तित हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक।

(v) यदि उम्मीदवार अयोग्य घोषित किये गये सैनिक सेवा कर्मचारियों से हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक।

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और अयोग्य घोषित किये गये सैनिक कर्मचारियों में से भी हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जायेगी।

(3) **टाइप परीक्षा**—यदि किसी उम्मीदवार को निम्न श्रेणी के ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से आयोग की टाइप की परीक्षा पास करने में छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले उसे यह टाइप परीक्षा पास कर लेनी चाहिये।

(4) ऐसे किसी उम्मीदवार को इस परीक्षा में तीन बार से अधिक भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायगी जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो, पांडीचेरी के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी न हो, या गोआ, दमन व दीयु के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी न हो या केन्या, उगांडा और तंजानिया संयुक्त गणतन्त्र (भूतपूर्व तांगानीका और जंजीबार) से व प्रत्यावर्तित न हो। यह प्रतिबन्ध 1966 में होने वाली परीक्षा से लागू है।

नोट—(i) यदि कोई उम्मीदवार वस्तुतः परीक्षा के किसी एक या अधिक विषयों में भाग लेगा तो उसे परीक्षा में भाग लिया हुआ समझा जायगा।

(ii) ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जो सक्षम आधिकारी की अनुमति से कैडर से मिले पदों पर प्रतिनियुक्त हों उन्हें अन्यत: पात्र होने पर इन परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जायगा ।

लेकिन यह बात उन निम्न श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो किसी कैडर से भिन्न पद पर नियुक्त किए गए हों या स्थानान्तरित रूप से किसी अन्य सेवा में भेजे गए हों, यद्यपि सामयिक रूप से निम्न श्रेणी के ग्रेड में उनका लियन चल रहा हो।

4. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

5. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

6. यदि यह पता लगे कि उम्मीदवार ने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि पेश किए हैं या ऐसे प्रमाण पत्र पेश किये हैं जिन में कोई हेरा फेरी की गई है या कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत है या झूठी है या कोई तथ्य छिपाया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा में बैठने के लिये किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है तो उस पर अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे हमेशा के लिये या किसी अवधि के लिये :—

(क) स्थायी अथवा अस्थायी रूप से

(i) आयोग, उम्मीदवारों के चुनाव के लिये ली जाने वाली किसी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से रोक सकता है, और

(ii) केन्द्रीय सरकार, सरकारी नौकरी करने से रोक सकती है।

(ख) उसके खिलाफ उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

7. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिये अयोग्य करार किया जायगा।

8. उम्मीदवारों को आयोग की विज्ञप्ति की संलग्निका–I में निर्धारित फीस देनी होगी । उक्त संलग्निका में बताई गई मात्रा को छोड़ कर न तो फीस की वापसी की किसी प्रार्थना पर विचार किया जायगा और न ही उक्त फीस किसी दूसरी परीक्षा या चुनाव के लिये आरक्षित (रिजर्व) की जा सकती है।

9. जिस प्रकार भारत सरकार निर्धारित करेगी उस प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये पद आरक्षित रखे जायेंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अर्थ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 जैसा कि वह अनुसूचित जातियां/अनुसूचित आदि जातियां (संशोधन) अधिनियम, 1956 संविधान (जम्मू व काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 संविधान (अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जातियां आदेश संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां, आदेश, 1962, संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 और संविधान पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 के साथ मिला कर पढ़ा जाय, में उल्लिखित कोई भी जातियां।

10. परीक्षा के बाद आयोग, उम्मीदवारों को, अन्तिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवरता सूची बनायेगा और परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या (असुरक्षित) तक उस क्रम से नियुक्ति के लिये उनके नामों की सिफारिश करेगा।

लेकिन यह भी शर्त है कि जब आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा/पद के लिये आयोग द्वारा निर्धारित मान के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, पर फिर भी आयोग उसे उस सेवा पद पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित कर दे और इससे प्रशासनिक कुशलता में किसी प्रकार का व्याघात होने का भय न हो तो वह उस सेवा/पद में यथास्थिति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित खाली पदों पर नियुक्ति का हकदार होगा ।

नोट:—उम्मीदवारों को यह बात स्पष्टतः समझ लेनी चाहिये, कि यह एक प्रतियोगी परीक्षा है, न कि सामान्य अर्हता परीक्षा । इस परीक्षा के आधार पर उच्च श्रेणी के ग्रेड के लिये चयन-सूची सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण नितान्त रूप से भारत सरकार के अधिकार में होगा । अतः कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर अधिकार रूप में चयन सूची में सम्मिलित होने का दावा नहीं रखेगा ।

नोट:—हरेक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाय, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

11. परीक्षा में पास हो जाने से नयुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये हर प्रकार से योग्य है ।

12. जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिये आवेदन-पत्र देने के पश्चात या परीक्षा में बैठने के पश्चात केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र देता है, या अन्यथा सेवा छोड़ देता है, या इससे सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है, या जिसे विभाग द्वारा सेवा से हटाया जाता है, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ती का पात्र नहीं होगा ।

के० त्यागराजन, अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा का निम्नलिखित कार्यक्रम होगा :—

भाग I— –निम्नलिखित अनुच्छेद 2 में दिये गये विषयों में अधिकतम 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग II—आयोग अपनी इच्छा से किन्हीं उम्मीदवारों की सेवा पन्जिका का मूल्यांकन करने का निर्णय कर सकता है, जिस के अधिकतम अंक 100 होंगे।

2. **भाग I**—में लिखित परीक्षा के विषय, प्रश्न पत्रों के लिये समय तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र के अधिकतम अंक निम्न प्रकार होंगे :—

विषय	दिया गया समय	अधिकतम अंक
(1) निबंध तथा साराश लेखन	2 घण्टे	100
(2) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति	2 घण्टे	100
(3) सामान्य ज्ञान	2 घण्टे	100

3. परीक्षा का विषय विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है ।

4. सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहियें।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायगी।

6. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

7. उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में दिये गये अंकों में से आयोग की इच्छानुसार अंक इस लिये काट लिये जायेंगे कि कहीं कोरे सतही ज्ञान का तो कोई लिहाज नहीं रखा गया है।

8. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों के अधिकतम अंकों में से, 5 प्रतिशत तक काट लिये जायेंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष लिहाज रखा जायगा कि भाषाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई है।

अनुसूचि

परीक्षा का स्तर और विषय–विवरण

(1) **निबन्ध तथा सारांश लेखन**—विहित विषयों में से एक पर अंग्रेजी में निबन्ध लिखना/सारांश के लिये सामान्यतः अनुच्छेद दिये जायेंगे।

(2) **टिप्पण व आलेखन तथा कार्यालय पद्धति**—इस प्रश्न पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों में कार्यालय पद्धति और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है। उम्मीदवारों को चाहिये कि इसके लिये वे "मैन्वल आफ आफिस प्रोसीजर" तथा "रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजीनेस इन लोक सभा एंड राज्य सभा" पढ़ा।

(3) **सामान्य ज्ञान**—सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र का उद्देश्य भारतीय भूगोल तथा देश का प्रशासन, और सामयिक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के सम्बन्ध में उम्मीदवारों का ज्ञान जांचना होगा।

वाणिज्य मंत्रालय

संशोधन–2

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 1966

सं० 26 (1)-टैरिफ/63—भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस मंत्रालय के संशोधन संख्या 26 (1)-टैरिफ/63 दि० 21 अप्रैल 1966 को निरस्त करते हुए, इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 26 (1)-टैरिफ/63 दि० 19 फरवरी 1966 की क्रम संख्या 7 के पैराग्राफ 1 में दी गयी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि कर दी जाये :—

7. डा० पी० वी० गुनीशास्त्री, सचिव
सचिव,
टैरिफ कमीशन,
सी० जी० ओ० बिल्डिंग,
101, क्वीन्स रोड,
बम्बई-1।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संशोधन सभी सम्बद्धों को भेज दिया जाय और सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

एम० दुबे, उप-सचिव

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 1966

स० 13/1/66–आई० ओ० सी०—भारत सरकार ने एक समिति की स्थापना का फैसला किया है जो आज तक देश में पैट्रोल तथा डीजल के फुटकर पम्पों (Retail outlets) की वृद्धि का अध्ययन करने और भविष्य में वृद्धि के नियमन करने की आवश्यकता एवं तरीको की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

2. समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे जायेंगे :—

(क) पिछले दस वर्षों में फुटकर पम्पों की वृद्धि तथा प्रत्येक पम्प की औसत बिक्री की मात्रा का सही तौर पर अध्ययन करना; दूसरे देशों की स्थिति का भारत के साथ तुलना करना और इन वृद्धियों की आवश्यकता एवं परिणाम का आंकन करना;

(ख) उपर्युक्त "क" को दृष्टि में रखते हुए (i) पृथक-पृथक रूप में शहरी और देहाती क्षेत्रों की स्थिति तथा आवश्यकताओं तथा (ii) देश और कम्पनी-वार कुल व्यापार की सम्भावित वृद्धि; और ऐसे नियमनों के बारे में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के सम्बन्ध में भविष्य में फुटकर पम्पो की वृद्धि को नियन्त्रित करने के उपायों तथा आवश्यकता पर रिपोर्ट तैयार करना।

(ग) अन्तर कम्पनी आवास तथा/या वर्तमान पम्पों में संतुलन की सम्भाव्यता एवं आवश्यकता पर रिपोर्ट तैयार करना।

3. जैसा भी आवश्यक होगा, समिति राज्य सरकारों तथा प्रमुख नगर प्रशासनों (Large City Administrations) के विचारों को जानेगी तथा उन पर विचार करेगी।

4. समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1. श्री आर० आर० मोरारका, लोक सभा सदस्य। — चेयरमैन
2. श्री आई० के० गुजराल, राज्य-सभा सदस्य। — सदस्य
3. परिवहन मंत्रालय का एक नामित। — सदस्य
4. श्री एस० डी० भाम्बरी, जनरल सेल्स मैनेजर, इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० (मार्किटिंग प्रभाग)। — सदस्य
5. श्री आर० दयाल, बर्मा शेल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लि०। — सदस्य
6. श्री पी० वी० मेनन, एमसो स्टेण्डर्ड ईस्टर्न इंक। — सदस्य
7. काल्टैक्स (इण्डिया) लि० का एक नामित। — सदस्य
8. अखिल भारतीय पैट्रोलियम ट्रेडर्ज की फेडरेशन का एक नामित। — सदस्य
9. श्री एम० कुरीयन, पैट्रोलियम का इण्डियन इन्स्टिट्यूट। — सदस्य
10. श्री ए० पी० वर्मा उपसचिव, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय। — सदस्य-सचिव

5. समिति द्वारा अपेक्षित सचिवालय सहायता पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा दी जायेगी।

6. समिति की बैठकें जब भी चेयरमैन आवश्यक समझेंगे; होगी और अपनी रिपोर्ट चार महीनों में प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सारे मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, प्रधानमंत्री का सचिवालय, संसद सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैन्य सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक, वाणिज्य, निर्माण एवं विविध के महा लेखाकार तथा केन्द्रीय राजस्व के महा लेखाकार को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति आम सूचना के लिए भारतीय राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

ए० पी० वर्मा, उप-सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

(कृषि विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 1966

सं० 6–1/66–एस० ए० पी०—देश के मरु क्षेत्रों के तीव्र विकास के प्रश्न पर भारत सरकार कुछ समय से विचार करती रही है। पिछले समय में इन क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया कुछ तो इसलिये कि इन के विकास के लिये काफी खर्च की आवश्यकता है और कुछ इस लिये कि इस पूंजी के लगाने से शीघ्र या प्रदर्शन योग्य परिणाम निकलते दिखाई नहीं देते। अतः भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय मरु विकास मण्डल स्थापित करने का निर्णय किया है। मण्डल के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. सचिव/विशेष सचिव, भारत सरकार (कृषि विभाग)।	अध्यक्ष
2. राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3. पंजाब सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
4. गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
5. भारत सरकार के स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
6. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
7. भारत सरकार के सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
8. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
9. भारत सरकार के संचार विभाग का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
10. भारत सरकार सामाजिक कल्याण विभाग का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
11. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
12 से 15. चार गैर सरकारी प्रतिनिधि	
16. मरु विकास आयुक्त	सदस्य-सचिव

2. मण्डल के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) मरु क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाएं तैयार करने पर निरन्तर ध्यान रखना।

(2) राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा इन योजनाओं की कार्यान्विति के लिये प्रबन्ध करना।

(3) योजनाओं की प्रगति में आने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करना।

(4) इन योजनाओं के लिये आवश्यक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु प्रबन्ध करना।

(5) यह सुनिश्चित करना कि देश कि मरु क्षेत्रों की ओर उचित ध्यान दिया जा रहा है।

3. छः महीने में कम से कम एक दफा मण्डल की बैठक होगी और अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार इससे अधिक भी बैठकें हो सकती हैं।

4. मण्डल का अध्यक्ष इन बैठकों में भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों से या राज्य सरकारों से किसी तकनीकी अथवा अन्य अधिकारियों को आमंत्रित कर सकता है।

बी० सिवरामन्, सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 1966

स० 19-69/64-एफ० डी०—वनों पर आश्रित उद्योगों के लिये वनों के कच्चे माल के युक्ति संगत विनिधान का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय के विचाराधीन रहा है। भारत सरकार के कृषि विभाग के "अर्धीन वन-आश्रित उद्योगों के लिये वन साधनों की एक केन्द्रीय समिति" की नियुक्ति की गई है।

उक्त समिति का संविधान और उसके कार्यकलाप निम्न प्रकार होंगे :—

2. **संविधान**

भारत सरकार के वन महानिरीक्षक .	अध्यक्ष
उद्योग मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि .	सदस्य
योजना आयोग का एक प्रतिनिधि .	सदस्य
तकनीकी विकास विभाग का एक प्रतिनिधि .	सदस्य

आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष को ऐसे अन्य व्यक्तियों को समिति में शामिल करने का अधिकार होगा जोकि समिति की बैठकों में उठाये गये प्रश्नों पर राय दे सकें।

3. **कार्यकलाप**

समिति भारत सरकार को निम्नलिखित विषयों पर राय देगी :—

(1) वन आश्रित उद्योगों के लिये वन संसाधनों का युक्तिसंगत विनिधान करना,

(2) वनों की कच्ची सामग्री के लिये उचित मूल्य तय करना,

(3) वन संसाधनों की सूची तैयार करना,

(4) वन-आश्रित उद्योगों के लिये कच्ची वन सामग्री की उपलब्धि।

4. **बैठकें**

साधारणतः समिति की बैठकें वर्ष में दो बार होंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

(भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्)

संस्ताव

दिनांक 14 जून 1966

सं० 6–10/65 रीआर्ग (सी० सी०)—भारत में कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रसार की स्थिति का पर्यवेक्षण करने के लिये 1959 में नियुक्त किये गये द्वितीय संयुक्त भारत-अमरीकी दल ने यह सिफारिश की थी कि यथेष्ठ समन्वय प्राप्त करने तथा केन्द्रीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम को सुगठित करने के लिए सब केन्द्रीय संस्थानों तथा जिन्स (कोमोडिटी) समितियों को पूर्ण रूपसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकार में लाया जाए। इस सिफारिश का पूर्ण समर्थन 1963 में नियुक्त किये गये कृषि अनुसंधान पर्यवेक्षक दल ने भी किया। केन्द्रीय जिन्स समितियों द्वारा पिछले वर्षों में किये गये वास्तविक कार्य को दृष्टि में रखकर भारत सरकार ने उक्त सिफारिशों की जांच की है तथा यह निर्णय किया कि इन समितियों को भंग करके इनके अनुसंधान कार्य को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ मिला दिया जाये तथा परिषद् का उपयुक्त पुनर्गठन करके इसे अधिक सुदृढ़ किया जाये जिससे कि परिषद् देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि के राष्ट्रीय कार्यक्रम का संचालन तथा विकास कर सके। तदनुसार 31 मार्च, 1966 को भारतीय लाख कर समिति का विघटन किया गया तथा इसके अनुसंधान कार्यों का भार (भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक अधिकारों समेत) 1 अप्रैल, 1966 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने संभाल लिया।

2. समिति द्वारा किया जाने वाला विकास तथा विपणन कार्य भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। लाख विकास से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क बनाये रखने तथा उनकी सलाह का लाभ प्राप्त करते रहने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय लाख विकास परिषद् बनाने का निश्चय किया है। प्रारम्भ में इस विकास परिषद् का गठन इस प्रकार होगा :—

1. **अध्यक्ष** : श्री ए० हैदरी, निदेशक, (लाख-विकास), क्षेत्रीय कार्यालय, लाख विकास, रांची।

2. **उपाध्यक्ष** : श्री बी० एम० पुग, सदस्य, खासी जयंतीया हिल, जिला परिषद्, मावालाई, शिलांग।

3 **सदस्य गण**

(क) **केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि।**

(1) एक प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य के कृषि/वन विभाग से निम्नलिखित सरकारों द्वारा मनोनीत :
- (i) बिहार
- (ii) मध्य प्रदेश
- (iii) पश्चिमी बंगाल
- (iv) महाराष्ट्र
- (v) उड़ीसा

(2) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि।

(3) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

(4) कृषि उत्पादन आयुक्त

(5) महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा उनके प्रतिनिधि।

(6) अध्यक्ष, लाख निर्यात विकास परिषद्।

(ख) **उत्पादकों के प्रतिनिधि।**

(1) श्री मोचीराम मुंदा, पोस्ट तथा मुकाम खूंटी, राची।

(2) श्री कमल कृष्ण महतो, ग्राम गाजपुर; पोस्ट टुनिया, गाजपुर (सिंगभूम–बिहार)।

(3) श्री रामदोनी राम, एम० एल० ए०, मुकाम तथा पोस्ट बालहंडी, (पालामाऊ बिहार)।

(4) श्री रवीन्द्रनाथ भार्गव, भूतपूर्व एम० एल० ए०, प्लीडर, गढ़ीवाड़ वार्ड, सेओनी, जिला सेओनी (मध्य प्रदेश)।

(5) श्री धर्मपाल सिंह गुप्ता, किसान बानीपारा दुर्ग, जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश)

(6) श्री शंकर नारायण सिंह देव, एम० एल० ए०, 108, नाकेल डांगा, नार्थ रोड, कलकत्ता।

(7) श्री चन्द्रिका प्रशाद ओझा, पी० ओ० विघाम गंज, मिर्जापुर।

(ग) **व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधि।**

(1) श्री सुखदेव अग्रवाल, अध्यक्ष, आल इंडिया लाख ग्रोवर्स एण्ड मैन्यूफैक्चरर्स, एसोशियेशन, गोंडिया (महाराष्ट्र)।

(2) श्री एम० रसल, द्वारा मैसर्स एनजैलो ब्रोस लि०, कोसीपुर, कलकत्ता–2।

(3) श्री विशचन्द राय हीरालाल केजरीवाल, अध्यक्ष, चापरा व्यापारिक सभा, बलरामपुर, पी० ओ० रगाड़िह, पुलिया, पश्चिमी बंगाल।

(4) श्री सदाशिव जी अग्रवाल, अध्यक्ष, पालामऊ शैलेक एसोसियेशन, डालटन गंज, बिहार।

(5) श्री ज्वाला प्रसाद जी अग्रवाल, मंत्री लाख चपड़ा व्यापार वर्धिनी सभा, पी० ओ० पेन्ड्रा, जिला बिलासपुर।

(6) श्री डी० पी० मदानी, निदेशक, मैसर्स इंडियन माइका एण्ड मैकेनाइट इडस्ट्रीज लि०, झुमुरी तलैइया, जिला हजारी बाग (बिहार)।

(7) श्री जी० एस० जयसवाल, द्वारा मैसर्स राम किशोर जयसवाल, प्रा० लि०, 20 मैंगोलेन, कलकत्ता।

(8) श्री पी० डी० जालान, 5 मैंगोलेन, कलकत्ता।

(घ) **संसद के प्रतिनिधि** (1) श्री मोहनलाल बाकलीवाल, एम० पी०, 8 नार्थ एवन्यू, नयी दिल्ली-1।

(2) श्री के० के० सिंह, एम० पी०, 140 साऊथ एवन्य, नयी दिल्ली।

(ङ) **अन्य** (1) प्रो० टी० आर० शिशाद्री, रासायन शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

(2) डा० अजीतराम वर्मा, प्रो० तथा विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान, बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय, वाराणसि।

(3) डा० एम० एस० मुथना, उप-निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, कानपुर।

(च) इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति, जिनको समय-समय पर सरकार मनोनीत करेगी, जो उन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनका परिषद् में कोई प्रतिनिधि नहीं है।

4. **सदस्य-सचिव** खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) में लाख की फसल के कार्य से सम्बन्धित उप-सचिव अथवा अन्य कोई अधिकारी।

5. **प्रेक्षक** : (जो कि परिषद् के सदस्य तो नहीं होंगे परन्तु परिषद् के विचार विमर्श में सहायतार्थ अनिवार्यत उन्हें आमंत्रित किया जायेगा।)

(1) कृषि विपणन सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)।

(2) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय से सम्बन्धित संयुक्त सचिव (वित्त)।

(3) अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)।

(4) अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम।

(5) भारतीय रेलों का एक प्रतिनिधि।

(6) निदेशक, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, नामकुम, रांची (बिहार)।

(7) निदेशक, केन्द्रीय लाख अनुसंधान केन्द्र, क्मा रगोड (केरल)।

(8) उप-निदेशक (विकास) क्षेत्रीय कार्यालय, लाख विकास, रांची।

3. परिषद् एक सलाहकार संस्था होगी तथा उसके कार्य निम्नलिखित होंगे —

(1) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाये गए लाख विकास के कार्यक्रमों पर समय समय पर विचार करना;

(2) निर्धारित लक्ष्यों को के संदर्भ में लाख विकास की प्रगति पर पुनरीक्षण तथा उस पर विचार करना;

(3) विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं की प्रगति को, जहां कहीं आवश्यक हो, तीव्रतर करने के लिये आवश्यक उपायों की सिफारिश करना;

(4) लाख विपणन तथा व्यापार की समस्याओं (मूल्य नीति निर्धारण समेत) का पुनरीक्षण एवं उन पर विचार करना; तथा

(5) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिषद् को सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य।

4. लाख उत्पादक क्षेत्रों के व्यापारिक तथा औद्योगिक महत्व के केन्द्रों में परिषद् समय-समय पर अपनी बैठक बुलायेगी तथा सरकार को अपनी सिफारिशें पेश करेगी।

आदेश

आदेश है कि इस संस्ताव की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्री मंडल के सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जायें।

2. यह भी आदेश है कि यह संस्ताव भारतीय राजपत्र में जन-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाये।

एस० जे० मजूमदार, अतिरिक्त सचिव

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम और रोजगार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 1966

सं० डब्ल्यू० बी०-14(1)/64—दूसरी पंचवर्षीय योजना के अध्याय XXVII के पैरा 25 और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अध्याय XV के पैरा 20 में की गई सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने सड़क परिवहन उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया है।

2. बोर्ड का गठन इस प्रकार होगा —

अध्यक्ष

श्री पी० पी० आर० साहनी

स्वतंत्र सदस्य

श्री आर० पी० एन० सिन्हा, संसद सदस्य
प्रो० डी० बी० रमण

मालिकों के प्रतिनिधि सदस्य

श्री डी० बी० काम्बले, आई० ए० एस०
श्री पी० एन० नागास्वामी

श्रमिकों के प्रतिनिधि सदस्य

श्री वी० वी० तेने

श्री के० एस० सुन्दरम्

3. बोर्ड के विचारार्थ विषय ये होंगे :—

(क) उन कर्मचारियों (श्रमिक, क्लर्क, पर्यवेक्षक आदि) के वर्ग निश्चित करना जिन्हें प्रस्तावित मजूरी-निर्धारण के प्रभाव क्षेत्र में लाया जाना चाहिए;

(ख) उचित मजूरी समिति की रिपोर्ट में निर्धारित उचित-मजूरी के सिद्धान्तों के आधार पर एक मजूरी-विन्यास तैयार करना ।

व्याख्या :—मजूरी विन्यास तैयार करते समय, बोर्ड को उचित मजूरी सम्बन्धी बातों के अलावा नीचे लिखी बातों पर भी ध्यान देना होगा :—

(i) विकासशील अर्थ व्यवस्था में इस उद्योग की आवश्यकताएं तथा निर्यात को बनाए रखने और बढ़ावा देने की आवश्यकता;

(ii) सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक तत्व;

(iii) मजूरी अंतरों को ऐसे तरीके से निर्धारित करने की आवश्यकता जिससे कर्मचारियों को अपना कौशल बढ़ाने की प्रेरणा मिले;

(iv) सड़क परिवहन उद्योग की विशेषताएं; और

(v) कार्य के अनुरूप अदायगी की पद्धति लागू करने की वांछनीयता ।

व्याख्या :—कार्य के अनुरूप अदायगी की पद्धति लागू करते समय, बोर्ड न्यूनतम (गुजारे लायक) मजूरी निर्धारित करने की और अतिक्रम तथा अवांछनीय अनुचित गति से काम करने से बचाने की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा ।

4. मजूरी बोर्ड की परिधि में वे प्रतिष्ठान आयेंगे जिसमें 20 या अधिक श्रमिक काम करते हों ।

5. आवास सलाहकार समिति की अनुमति प्राप्त होने पर बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में होगा । बोर्ड से पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पते पर होगा :—

अध्यक्ष, सड़क परिवहन उद्योग का केन्द्रीय मजूरी बोर्ड, द्वारा श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम और रोजगार विभाग, श्रम-शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

सं० डब्ल्यू० बी०-15(1)/64—दूसरी पंचवर्षीय योजना के अध्याय XXVII के पैरा 25 और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अध्याय XV के पैरा 20 में की गई सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने बिजली प्रतिष्ठानों के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया है ।

2—बोर्ड का गठन इस प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

श्री पी० पी० आर० साहनी ।

स्वतंत्र सदस्य

श्री जगन्नाथ राव चन्द्रिका, संसद सदस्य,

प्रो० एस० बी० देसाई ।

मालिकों के प्रतिनिधि सदस्य

श्री आर० पी० आयर

श्री एस० एन० रे

श्री ए० चन्द्र नायर

श्रमिकों के प्रतिनिधि सदस्य

श्री जे० सी० दीक्षित

श्री डी० पी० पाठक

श्री विमल महरोत्रा ।

3—बोर्ड के विचारार्थ विषय ये होंगे :—

(क) उन कर्मचारियों (श्रमिक, क्लर्क, पर्यवेक्षक आदि) के वर्ग निश्चित करना जिन्हें प्रस्तावित मजूरी-निर्धारण के प्रभाव क्षेत्र में लाया जाना चाहिए;

(ख) उचित मजूरी समिति की रिपोर्ट में निर्धारित उचित मजूरी के सिद्धान्तों के आधार पर एक मजूरी-विन्यास तैयार करना ।

व्याख्या :—मजूरी विन्यास तैयार करते समय, बोर्ड को उचित मजूरी सम्बन्धी बातों के अलावा नीचे लिखी बातों पर भी ध्यान देना होगा :—

(i) बिजली प्रतिष्ठानों के जन उपयोगी तत्व;

(ii) विकसित अर्थ व्यवस्था में इस उद्योग की आवश्यकताएं;

(iii) सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक तत्व;

(iv) मजूरी अंतरों को ऐसे तरीके से निर्धारित करने की आवश्यकता जिससे कर्मचारियों को अपना कौशल बढ़ाने की प्रेरणा मिले; और

(v) कार्य के अनुरूप अदायगी की पद्धति लागू करने की वांछनीयता ।

व्याख्या:—कार्य के अनुरूप अदायगी की पद्धति लागू करते समय बोर्ड न्यूनतम (गुजारे लायक) मजूरी निर्धारित करने की ओर अतिक्रम तथा अवांछनीय अनुचित गति से काम करने से बचाने की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा ।

4. आवास सलाहकार समिति की अनुमति प्राप्त होने पर बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में होगा । बोर्ड से पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पते पर होगा :—

अध्यक्ष, बिजली प्रतिष्ठान सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड, द्वारा श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम और रोजगार विभाग, श्रम-शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजा जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

पी० एस० नायक, अतिरिक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 13th June 1966

No. 40-*Pres*./66.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Names of the officers and ranks

Shri Pritam Singh,
Assistant Sub-Inspector No. 3596,
Punjab Armed Police,
Punjab. (*Deceased*)

Shri Kundan Singh,
Police Constable No. 1348,
Punjab Armed Police,
Punjab. (*Deceased*)

Shri Jarnail Singh,
Police Constable No. 8398,
Punjab Armed Police,
Punjab.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 27th June 1964, a Police party which had gone for water to a water point near the cease-fire line in Jammu and Kashmir was ambushed by Pakistani from across the cease-fire line. Shri Pritam Singh, who was in command of the party, immediately ordered his men to return the fire. The Police party had hardly taken up positions when a hand-grenade fell a few yards away from the water point injuring one of the Constables. Thereafter the Pakistanis opened heavy fire with automatic weapons from three sides. Although very much out-numbered, the small police party retaliated vigorously. Owing to intensive pressure from the raiders, Shri Pritam Singh had to crawl under heavy fire to a better position from which he could direct the operation. While doing so, he was hit by a burst from a LMG and died at the spot. Undeterred by the heavy firing and the loss of their commander, Constables Kundan Singh and Jarnail Singh continued their fight against the numerically superior force. Constable Kundan Singh was also hit by a LMG burst but despite his serious injuries he continued to fire at the raiders with his rifle until his strength gave out and he also died fighting. Constable Jarnail Singh stuck to his position and skillfully engaged the raiders with rifle fire. He not only prevented the raiders from advancing further but eventually forced them to retreat.

During this encounter, Sarvshri Pritam Singh, Kundan Singh and Jarnail Singh exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty of high order

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th June 1964.

No. 41-*Pres*./66.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madras Police :—

Name of the officer and rank

Shri Lakshmia Naidu Munuswamy,
Havildar 93, 2nd Battalion,
Madras Special Armed Police,
Madras.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 19th May 1964, an unruly mob of displaced persons from Theruveli Camp squatted on the Theruveli Railway Station platform as well as on the railway track demanding arrangements for a special train to carry them to the Mana Camp. The District Magistrate and the Superintendent of Police arrived at the scene and tried to persuade the mob to disperse. Seeing the violent attitude of the mob, the District Magistrate declared the assembly unlawful and ordered it to disperse. When all other efforts proved futile, the Additional Superintendent of Police was asked to arrest the ring-leaders. At this the mob became restive as a result of which the police had to resort to a lathi-charge. At this juncture, the mob attacked the police party. An agitator rushed at the Additional Superintendent of Police with an axe. On seeing this, Havildar Munuswamy tackled the armed man, pushed him away and undoubtedly saved the life of the Additional Superintendent of Police. In doing so, he was struck on the knee, resulting in a grievous injury.

Havildar Munuswamy displayed conspicuous gallantry and a high sense of duty at great personal risk.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th May 1964.

The 14th June 1966

No. 42-*Pres*. 66.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name of the officer and rank

Shri Om Prakash Yadav,
Sub-Inspector of Police,
District Banda,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 6th December 1963, information was received that the notorious dacoit Shayam Lal intended to join a gang operating in Bhind area. A plan was chalked out according to which a police party of four was to meet Shayam Lal as gangsters of Bhind area. Shri Om Prakash Yadav volunteered to lead this small party. On the night of the 7th December 1963, the police party under Shri Yadav reached the *rendez vous*. At about 3 O'clock the next morning Shayam Lal came there along with Darbaria, Nazir Behna and two other dacoits. On seeing the dacoits, Shri Yadav invited them to come nearer but Shayam Lal wanted to ensure their *bona-fide* first. At this Shri Yadav suggested that a light be procured to enable Shayam Lal to satisfy himself as to the identity of the party. Accordingly a light was procured, but on seeing the police party, Darbaria became suspicious. Immediately Shayam Lal ordered his men to open fire at the police. The two shots fired by the dacoits narrowly missed Sub-Inspector Yadav. Undeterred by the suddenness of the attack, the police party took up positions and returned effective fire under the direction of Shri Yadav. In the ensuing encounter, all the five dacoits were killed.

In this encounter, Shri Om Prakash Yadav exhibited conspicuous gallantry by exposing himself to imminent danger to his life.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th December 1963.

Y. D. GUNDEVIA, Secy. to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RULES

New Delhi, the 25th June 1966

No. 8/20/66-*CS-II*.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service to be held by the Union Public Service Commission in December 1966, are published for general information.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The date on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service, who on the 1st July 1966, satisfied the following conditions, shall be eligible to appear at the examination :—

(1) *Length of service* :—He should have rendered not less than 5 years' approved and continuous service in—

(a) the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or

(b) any other grade under the Central or a State Government the minimum and the maximum of the scale of pay of which were not less than Rs. 55 and Rs. 130 respectively, prior to 1-7-1959, and are not less than Rs. 110 and Rs. 180 respectively on or after 1-7-1959.

NOTE.—The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service and partly elsewhere, as mentioned in (a) and (b) above respectively.

(2) *Age* :—He should not be more than 40 years of age *i.e.*, he must not have been born earlier than 1st July 1926.

NOTE.—The age limit of 40 years will apply to tht examinations to be held in 1966 and 1967 only. Thereafter the age limit will be 30 years.

Provided that the upper age limit may be relaxed in respect of the following categories of persons :—

(i) Up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) Up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage.

(iii) Up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

(iv) Up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar).

(v) Up to a maximum of three years if a candidate belongs to the category of disabled Defence Services personnel.

(vi) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a disabled person from the Defence Services.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(3) *Typewriting test*.—Unless exempted from passing the Commission's typewriting test for the purpose of confirmation, in the Lower Division Grade, he should have passed this test on or before the date of notification of this examination.

(4) No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than 3 times at the examination, this restriction being effective from the examination to be held in 1966.

NOTE 1.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

NOTE 2.—Lower Division Clerks who are on deputation to *ex*-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed to an *ex*-cadre post or to another Service on "transfer" even if he continues to have a lien in the Lower Division Grade, for the time being.

4. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

5. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

6. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution :—

(a) be debarred permanently or for a specified period by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

7. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

8. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice. No claim for refund of the fee will be entertained except to the extent stated in that Annexure, nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

9. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 and the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission in their discretion to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade up to the required number.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission, is declared by them to be suitable for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade with due regard to the maintenance of efficient of administration, shall be recommended for inclusion therein up to the number reserved for members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as the case may be.

NOTE 1.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

NOTE 2.—The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respects for selection.

12. A candidate, who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department, will not be eligible for appoint ment on the results of this examination.

K. THYAGARAJAN, Under Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I.—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II.—Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion, carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the time allowed and the maximum marks allotted to each paper will be as follows :—

Subject	*Time Allowed*	*Maximum Marks*
(i) Essay & Precis Writing	2 hours	100
(ii) Noting & Drafting and Office Procedure	2 hours	100
(iii) General Knowledge	2 hours	100

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached schedule.

4. All question papers must be answered in English.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.

7. From the marks assigned to candidates in each subject such deduction will be made as the Commission may consider necessary in order to secure that no credit is allowed for merely superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

(1) *Essay and Precis Writing* : An essay to be written in English on one of the specified subjects. Passages will usually be set for summary or precis.

(2) *Noting & Drafting and Office Procedure*. The papers on Noting & Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidates' knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts. Candidates are required to study the Manual of Office Procedure and the Rules of Procedure and conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha for this purpose.

(3) *General Knowledge* : The paper on General Knowledge will be intended *inter alia* to test the candidates' knowledge of Indian Geography as well as the country's administration, and current national and international events.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 10th June 1966

No. 1(6)-*Tex(I)*/65.—In the Government of India, Ministry of Commerce Notification No. 1(6)-Tex(I)/65, dated the 14th April, 1965 published in the Gazette of India Part I, Section 1, dated the 1st May 1965, the following further amendment shall be made, namely :—

In the said Notification, for entry 26 the following shall be *substituted*, namely,

"26. Dr. S. N. Ranade, Ahmednagar".

A. G. V. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

AMENDMENT-II

New Delhi, the 13th June 1966

No. 26(1)-*Tar*/63.—In supersession of this Ministry's Amendment No. 26(1)-Tar/63 dated the 21st April 1966, published in the Gazette of India, the name and entry appearing against S. No. 7 in Paragraph 1 of Resolution No. 26(1)-Tar/63 dated the 19th February 1966, of this Ministry shall be *substituted* as follows :—

7. Dr. P. V. Gunishastri,
Secretary,
Tariff Commission, *Secretary*
C.G.O. Building,
101, Queen's Road,
Bombay-1.

ORDER

ORDERED that the Amendment be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

M. DUBEY, Dy. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

RESOLUTION

New Delhi, the 9th June 1966

No. 13/1/66/*IOC*.—The Government of India has decided to set up a Committee to study the growth of retail outlets in the country in the past and to report on the desirability and methods of regulating future growth.

2. The Committee will,

(a) make a factual study of the growth of retail outlets in the last ten years and of the volume of average sales per outlet, a comparison with the position in other countries and an assessment of the justification for and consequences of the increases that have taken place shall be made;

(b) in the light of (a) above, report on the need for and methods of regulating the growth of retail outlets in the future with reference to

(i) the position in and the needs of the urban and rural areas separately and

(ii) the expected growth of total business in the country and company-wise; and the criteria to be adopted in any such regulations;

(c) consider the desirability and feasibility of inter-company accommodation and/or adjustment in existing outlets.

3. The Committee will ascertain and take into consideration the views of State Governments and large City Administrations, as may be found desirable.

4. The composition of the Committee will be as follows :—

Chairman

1. Shri R. R. Morarka, Member, Lok Sabha.

Members

2. Shri I. K. Gujral, Member, Rajya Sabha.
3. A nominee of Ministry of Transport.
4. Shri S. D. Bhambri, General Sales Manager, Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division).
5. Shri R. Dayal, Burma Sheel Oil Storage & Distributing Co. of India Limited.
6. Shri P. V. Menon, Esso Standard Eastern Inc.
7. A nominee of Caltex (India) Limited.
8. A nominee of Federation of All India Petroleum Traders.
9. Shri M. Kurein, Indian Institute of Petroleum.

Member-Secretary

10. Shri A. P. Verma, Deputy Secretary, Ministry of Petroleum & Chemicals.

5. Secretariat assistance, as required by the Committee, will be provided by the Ministry of Petroleum & Chemicals.

6. The Committee will meet as often as may be considered necessary by the Chairman and shall submit its report in four months.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the Ministries of the Government of India, all the State Governments, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Private and Military Secretaries to the President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Commerce, Works & Miscellaneous, Accountant General, Central Revenues.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. P. VERMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF MINES AND METALS

New Delhi, the 17th June 1966

No. C4.1-7(6)/66.—The Government of India have decided that the Coal Advisory Council which was set up in the late Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Department of Mines and Metals) Resolution No. C6-8(1)/62, dated the 9th March 1964, and whose composition was revised *vide* this Ministry's Notification No. C4A-7(1)/66, dated the 29th March 1966, will hereafter be called the Coal Development Council.

S. P. GUGNANI, Director

MINISTRY OF IRON AND STEEL

RESOLUTION

New Delhi, the 16th June 1966

No. SC(*I*)-24(7)/64(.).—The Government of India have decided to abolish the Standing Committee (Trade) for the Steel Industry, which was set up under Resolution of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel No. SC(A)-24(58)/61 dated the 7th July 1961, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary dated the 11th July 1961.

ORDER

ORDERED that this be published in the Gazette of India for general information.

N. P. MATHUR, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

RESOLUTION

New Delhi, the 15th June 1966

SUBJECT :—*National School Health Council—Re-constitution of the—*

No. F. 6-3/66-*PH*.—In the Ministry of Health & Family Planning Resolution No. F. 6-3/66-PH, dated the 7th April 1966, against the existing entries 45-53 the following shall be added at the end *viz.* :—

"Dadra & Nagar Haveli".

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Secretary to the President; the Prime Minister's Secretariat; the Rajya Sabha Secretariat; the Lok Sabha Secretariat; the Cabinet Secretariat; the Planning Commission; all Ministries of the Government of India; the Department of Social Welfare; Department of Parliament Affairs; all State Governments; all Union Territories; the Dte. G.H.S.; the Director General I.C.M.R.; all members of the Council; the A.G.C.R., New Delhi.

Certified also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. K. KUTTY, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi-1, the 18th June 1966

No. 6-1/66-*SAP*.—The question of rapid development of the desert areas of the country has been under the consideration of the Government of India for some time. These areas have not received adequate attention in the past partly

because of the large financial outlays required for their development and partly because the results from these investments are not expected to be either quick or spectacular. The Government of India have therefore, decided to set up a Central Desert Development Board to ensure a more rapid development of the areas. The Board will consist of the following :—

Chairman

1. Secretary/Special Secretary to the Government of India, Department of Agriculture.

Members

2. One representative of the State Government of Rajasthan.
3. One representative of the State Government of Punjab.
4. One representative of the State Government of Gujarat.
5. One representative of the Ministry of Health & Family Planning, Government of India.
6. One representative of the Ministry of Education, Government of India.
7. One representative of the Ministry of Irrigation and Power, Government of India.
8. One representative of the Ministry of Finance, (Deptt. of Expenditure), Government of India.
9. One representative of the Department of Communications, Government of India.
10. One representative of the Department of Social Welfare, Government of India.
11. One representative of the Planning Commission.

12 to 15. Four non-official representatives.

Member-Secretary

16. Desert Development Commissioner.

2. The functions of the Board will be :—

(i) to keep under constant review the preparation of schemes for the development of the desert areas;
(ii) to arrange for the execution of these schemes through the agencies of the State Governments;
(iii) to remove administrative bottlenecks hindering the progress of the schemes;
(iv) to arrange for training of personnel required for these schemes; and in general
(v) to ensure that the desert areas of the country receive the attention they deserve.

3. The Board will meet at least once in six months, and may meet as often as may be decided by the Chairman.

4. The Chairman of the Board may invite to its meetings any technical or other officers from the various Ministries of the Government of India or from the State Governments.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, all Members of the Desert Development Board, all Attached and Subordinate Offices under the Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. SIVARAMAN, Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 16th June 1966

No. F. 19-69/64-FD.—The question of rational allocation of forest raw materials to forest based industries has been under consideration of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation for sometime past. The Government of India have appointed a "Central Committee for Raw Materials for Forest Industries" in the Department of Agriculture which will have the following constitution and functions.

2. *Constitution*

Chairman

Inspector General of Forests, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

Members

A representative of the Ministry of Industry.

A representative of the Planning Commission.

A representative of the Department of Technical Development.

The Chairman may co-opt, as and when required, such other persons as may be required for advising on specific proposals under consideration of the Committee.

3. *Functions* : The Committee will advise the Government of India on

(i) rational allocation of forest raw materials to forest based industries;
(ii) reasonable prices for forest raw materials;
(iii) inventory of forest resources; and
(iv) raw material availability for forest-based industries.

4. *Meetings* : The Committee will meet ordinarily twice a year.

ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

(I.C.A.R.)

RESOLUTION

The 14th June 1966

No. 6-10/65-Reorgn.(Adm.).—The Second Joint Indo-American Team, appointed in 1959, to review the position of Agricultural Education, Research and Extension in India, recommended that in the interest of consolidating the Central Agricultural Research Programme and assuring adequate co-ordination, all Central Institutes and Commodity Committees should be brought under the full technical and administrative control of the Indian Council of Agricultural Research. This recommendation was strongly supported by the Agricultural Research Review Team, appointed in 1963. The Government of India have examined the above recommendations in the light of the actual functioning of the Central Commodity Committees during the past years and recently decided that the Commodity Committees should be abolished and the research work being conducted by them be integrated with the Indian Council of Agricultural Research, which should be suitably reorganised and strengthened, so as to enable it to develop and administer a National Programme of Agricultural Research, commensurate with the needs of the country. Accordingly, the Indian Lac Cess Committee was dissolved on the 31st March 1966, and its research activities (including the administrative control of the Indian Lac Research Institute) have been assumed by the Indian Council of Agricultural Research, with effect from 1st April 1966.

2 The Government of Inda have taken over the development and marketing functions handled by the Committee. In order to continue the association of the various official and non-official interests with the development of lac and have the benefit of their continued advice, the Government of India have decided to constitute an Indian Lac Development Council. To begin with, the Council will consist of the following :—

1. *Chairman*

Shri A. Haidery,
Director (Lac Development),
Regional Office (Lac Development),
Ranchi.

2. *Vice-Chairman*

Rev. B. M. Pugh,
Member, Khasi Jaintia Hill District Council,
Mawlai, Shillong.

3. *Members*

(a) *Representatives of the Central and State Governments*

1. One representative each of the State Department of Agriculture/Forests to be nominated by the Governments of—
   (i) Bihar.
   (ii) Madhya Pradesh.
   (iii) West Bengal.
   (iv) Maharashtra.
   (v) Orissa.
2. One representative of the Planning Commission.
3. One representative of the Ministry of Commerce.
4. Agricultural Production Commissioner.
5. Director-General, Indian Council of Agricultural Research or his representative.
6. Chairman, Shellac Export Promotion Council.

(b) *Growers representatives*

1. Shri Mochirai Munda, At & P.O. Khunti (Ranchi).
2. Shri Kamal Krishna Mahto, Village-Gajpur, P.O. Tunia Gajpur, (Singhbhum—Bihar).
3. Shri Ramdoni Ram, M.L.A., At & P.O. Balhandi, (Palamau—Bihar).
4. Shri Ravindranath Bhargava, Ex-M.L.A., Pleader, Garhiward Seoni, District Seoni (M.P.).
5. Shri Dharampal Singh Gupta, Cultivator, Banipara Durg, District Durg (M.P.).

6. Shri Sankar Narayan Singh Deo, M.L.A., No. 108, Narkel Danga, North Road, Calcutta.
7. Shri Chandrika Prasad Ojha, P.O. Wyndhamganj, Mirzapur.

(c) *Representatives of Trade and Industry*

1. Shri Sukhdeo Agarwal, President, All India Lac Growers and Manufacturers Association, Gondia, (Maharashtra).
2. Mr. M. Russel, c/o M/s. Angelo Bros. Ltd., Cossipore, Calcutta-2.
3. Shri Shivchandrai Hiralal Kejriwal, President, Chapra Vyparik Sabha, Balrampur P.O. Rangadih (Purulia—West Bengal).
4. Shri Sadashivji Agarwal, President, Palmau Shellac Association, Daltonganj, (Bihar).
5. Shri Jwala Prasadji Agarwal, Secretary, Lac Chapra Vyapar Wardhini Sabha, P.O. Pendra, District Bilaspur.
6. Shri D. P. Bhadani, Director, M/s. Indian Mica and Macanite Industries Ltd., Jhumri Telaiya, District Hazaribagh (Bihar).
7. Shri G. S. Jayaswal, c/o M/s. Ram Kishore Jaiswal Private Ltd., 20, Mangoe Lane, Calcutta.
8. Shri P. D. Jalan, 5, Mangoe Lane, Calcutta.

(d) *Representatives of Parliament*

1. Shri Mohanlal Bakliwal, M.P., 8, North Avenue, New Delhi-1.
2. Shri K. K. Singh, M.P., 190, South Avenue, New Delhi-1.

(e) *Others*

1. Prof. T. R. Seshadri, Department of Chemistry, Delhi University, Delhi.
2. Dr. Ajit Ram Verma, Prof. & Head of Department of Physics, Benaras Hindu University, Varanasi.
3. Dr. M. S. Muthana, Dy. Director, Indian Institute of Technology, Kanpur.

(f) *In addition, such persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India, to represent interests not already represented in the Council.*

4. *Member-Secretary*

Deputy Secretary or any other officer dealing with the crop in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture).

5. *Observers*

(who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations) :—

(a) Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture).
(b) Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation.
(c) Economic & Statistical Adviser, Ministry of Food Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture).
(d) Chairman, State Trading Corporation.
(e) A representative of Railways.
(f) Director, Indian Lac Research Institute, Namkum (Ranchi).
(g) Deputy Director (Development), Regional Office, Lac Development, Ranchi.

3. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) to consider, from time to time, the Lac Development Programmes formulated by the Central and State Governments;
(ii) to consider and review the progress of lac development in the context of targets laid down;
(iii) to recommend measures for accelerating the tempo of development programmes/schemes, wherever necessary;
(iv) to consider and review the problems of lac marketing and trade, including price policy, and to make suggestions for improvement; and
(v) any other function, which may from time to time, be assigned by the Government of India to the Council.

4. The Council will meet periodically in important centres of trade and industry, in areas in which lac is cultivated and will make its recommendations to the Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. J. MAJUMDAR, Additional Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 17th June 1966

No. F. 1-2/65-*PE2*.—In continuation of the Ministry of Education Notification of even number dated the 21st April 1966,

Shri S. K. Roy
Joint Secretary,
Ministry of External Affairs,
New Delhi

is nominated as a member of the All India Council of Sports with immediate effect and up to the 15th July 1967, *vice* Shri Surendra Sinh of Alirajpur.

R. L. ANAND, Under Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND AVIATION

(Department of Transport, Shipping and Tourism)

(Tourism)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th June 1966

No. 13-*TPL.I*(5)/64.—In the Goverment of India, Ministry of Transport and Aviation, Department of Tourism Resolution No. 3-TT(14)/57 dated the 27th February 1958, as amended by the Government of India, Resolutions bearing the same number dated the 23rd April 1958, 24th July 1958 and 26th December 1958, and No. 3-TPL.II(7)/62 dated the 31st July 1962, and No. 8-TM(3)/64 dated the 25th June 1964, and No. 13-TPL.I(5)/64 dated the 2nd August 1965, the existing Part III of the Resolution will be amended to read as follows :—

III.—*Composition of the Council*

The Constitution of the Council shall be as follows :—

Chairman

(i) Minister for Transport and Aviation in the Central Government.

First Vice-Chairman

(ii) Minister of State in the Ministry of Transport and Aviation.

Second Vice-Chairman

(iii) Deputy Minister for Transport and Aviation in the Central Government.

Members

1. Member (Transport), Planning Commission.
2. Deputy Minister in the Ministry of Railways in the Central Government.
3. Deputy Minister for Information and Broadcasting.
4. Secretary in charge of Transport in the Central Government.
5. Head of the Tourist Organisation in the Central Government.
6. Director General, Civil Aviation.
7. Director General, Archaeological Survey of India.
8. One representative each of the Ministry of Finance (P&T Division) and Ministry of Urban Development Works and Housing.
9. Ministers in charge of Tourism in each State and Union Territories with legislatures (Himachal Pradesh and Goa).
10. Chief Commissioner, Delhi.
11. Chief Secretary of the Union Territories (without legislatures). One Member by rotation.
12. Nine Members of Parliament. They shall be nominated by the Government of India in the Ministry dealing with Tourism, and shall remain members for the period from the 1st April 1965 to 31st March 1968.
13. Two representatives from the Federation of Hotel and Restaurant Association of India.
14. Two representatives of Travel Agents' Association of India.
15. Chairman of the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industry.
16. Chairman of the All India Handicrafts Board.
17. One representative of Air India.
18. One representative of IAC.
19. One representative of the International Foreign Flag Carriers in India.
20. One representative of the Shikar Outfitters Association of India,

21. One representative of the Federation of the Automobile Associations of India.
22. One representative of Foreign Shipping Companies in India.
23. Fourteen members of the public. They shall be nominated by the Government of India in the Ministry dealing with Tourism and shall remain members for the period—1st April 1965, to 31st March 1968.

Secretary

An Official nominated by the Central Government shall be the Secretary of the Council.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

J. N. GOYAL, Director General of Tourism, *ex-officio* Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 7th June 1966

No. DW.I.502(10)/65—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated the 5th April 1966, the time for submission of the report by the Technical Committee constituted to review the present position of investigations on the Barak Dam Project and also to consider whether a dam should be constructed or alternative proposals have to be considered, is further extended up to the 31st December 1966.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to the State Government of Assam, the Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the Comptroller and Auditor General of India and the Planning Commission for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the State Government of Assam be requested to publish it in the State Gazette for general information.

P. R. AHUJA, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-1, the 10th June 1966

No. 7/16/66-FI(SA)—It is hereby notified that in pursuance of rule 28 of the rules concerning the State Awards for Films, published in the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 7/19/64-FI, dated the 21st November, 1964, Government have decided to give awards to the following films, namely :—

S. No.	Title of the film	Name of producer/ Director	Awards
	FEATURE FILMS	Regional Awards	
1.	MALAJANHA (Oriya)	*Producer*	
		Shri Films, Mansinghpatna, Cuttack-I.	President Silver Medal
2.	Kaa (Oriya)	*Producer*	
		Smt. Parbati Ghose, Gangamandir, Cuttack-I.	Certificate of Merit.

D. R. Khanna, Under Secy.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1966